भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 322

जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2021 को दिया जाना है

तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण

322 श्री पी. विल्सन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केकेएनपी) की इकाइयों 5 और 6 के चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इकाई 5 और 6 के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों के शुरू होने के बाद कुल कितनी नौकरियों का सृजन होगा;

(ग) क्या कुडनकुलम संयंत्र से उत्पन्न होने वाली पूरी बिजली तमिलनाडु राज्य को ही दी जाएगी क्योंकि यहां कोयला आदि की कमी है;

(घ) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केकेएनपी द्वारा निजी मजदूरों को भुगतान करने से इनकार करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी 5 एवं 6) की यूनिट 5 एवं 6 का निर्माण कार्य 29 जून, 2021 को कंक्रीट की प्रथम भराई (एफपीसी) करने के साथ आरम्भ हुआ । इससे पहले, खुदाई और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियां पूरी की गईं ।

(ख) यूनिट 5 एवं 6 को कंक्रीट की प्रथम भराई से क्रमशः 66 माह और 75 माह में पूरे किए जाने की योजना है । वर्तमान में, केकेएनपीपी 5 एवं 6 में ठेकेदारों के माध्यम से उत्पन्न रोजगार की संख्या लगभग 250 है जो निर्माण की प्रगति के साथ-साथ बढ़कर लगभग 6000 हो जाएगी । इसके अतिरिक्त, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होगा ।

(ग) कुडनकुलम यूनिटों द्वारा उत्पादित विद्युत का आबंटन, विद्यमान नीति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

(घ) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, डिज़ाइन, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अतिरेक तथा विविधता के सुरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए डिज़ाइन किया जाता है और गहन संरक्षा प्रणाली का अनुपालन करते हुए उनमें 'फेल-सेफ' डिज़ाइन विशिष्टताएं उपलब्ध कराई जाती हैं । इससे यह सुनिश्चित होता है कि रेडियोसक्रियता के स्रोत और पर्यावरण के बीच कई अवरोध हैं । संयंत्रों का प्रचालन, उच्च अर्हता प्राप्त, प्रशिक्षित एवं लाइसेंसधारी कार्मिकों द्वारा, सुस्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाता है ।

(ङ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) प्राइवेट/ठेका/अनियत कामगारों को नियुक्त नहीं करता है । तथापि, एनपीसीआईएल विभिन्न कार्य करवाने के लिए ठेका प्रदान करता है और ठेकेदार आवश्यकताओं के आधार पर कार्मिक नियुक्त करते हैं । एनपीसीआईएल, प्रमुख नियोक्ता होने के नाते प्रचलित विभिन्न कानूनों के अनुसार ठेका कामगारों के वेतन के भुगतान और उनके कल्याण को सुनिश्चित करता है ।

* * * * *